

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर संस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक . .

विषय — “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	इन्दु शर्मा पति—पटेल शर्मा ग्राम—सलेमपुर सुतरखाना पो०—बाक थाना मुफसिल जिला—मुंगेर एम०सी०एस—एफ 94303	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	मजु देवी पति—ओम प्रकाश सहनी ग्राम+पो०—सिधाव थाना—लौकरिया जिला—प० चम्पारण एम०सी०एस—एफ 92797	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	कविता देवी पति—सदानंद पासवान ग्राम—महराजगंज पो०—सुखासन थाना—ग्वालपाडा जिला—मधेपुरा एम०सी०एस—एफ 77897	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सजय राम पिता—बसंत राम ग्राम—बढेता पाठक टोला पोस्ट— रसलपुर, थाना—परसबिगहा जिला—जहानाबाद एम०सी०एस—एफ 95149	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	उर्मिला देवी पति-हरेन्द्र राम ग्राम-महुदही पो0-नाथमलपुर थाना-बडहरा जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 93026	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	केदार साह पिता-स्व0 लक्ष्मी साह ग्राम-विद्यानगर पो0-जय नगर थाना-जय नगर जिला-मधुबनी एम0सी0एस-एफ 93207	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	जय प्रकाश सिंह पिता-टेक नारायण सिंह ग्राम+पो0-चऑ थाना-खैरा जिला-जमुई एम0सी0एस-एफ 93322	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	प्रफुल्ल चद्र सिंह पिता-तीर्थानंद सिंह ग्राम-पुअल पोस्ट-डचना थाना-बारसोई जिला कटिहार एम0सी0एस-एफ 94977	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	रीना देवी पति-नागेन्द्र सिंह ग्राम+पो0-देवरही थाना-तरैया जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 92900	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	शीला देवी पति-परशुराम यादव ग्राम+पो0-बडका राजपुर थाना-सिमरी जिला-बक्सर एम0सी0एस-एफ 20927	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	सबिता कुमारी पति-पवन कुमार मडल ग्राम+पो0 तेलघी थाना-खरिक जिला भागलपुर एम0सी0एस0 न0-एफ 47354	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

12	सगीता देवी पति उदय सिंह ग्राम-उखडा पो0-नेहुसा थाना-हरनौत जिला नालंदा एम0सी0एस0 न0-एफ 93844	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
13	रामदेव यादव पिता-हरिहर यादव ग्राम-ख्वासपुर पो0-कचहरी थाना-ख्वाशपुर जिला भोजपुर एम0सी0एस-एफ 76926	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
14	ललन यादव पिता-स्व0 धनुकधारी यादव ग्राम-गणनपुरा पो0-बभना थाना-कल्पा जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-एफ 93056	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	चद्रावती देवी पति-गोरख नाथ सिंह ग्राम-शिवा बिगहा पो0-चेई थाना-सलैया जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-एफ 66017	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
16	अनिता देवी पति-पिकु कुमार राम ग्राम-मोहनपुर निस्फ पो0-मोहनपुर चौमुख थाना-बिहारीगज जिला-मधेपुरा एम0सी0एस-एफ 94110	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	हरिलाल सहनी पिता-छत्तर सहनी ग्राम-किशुनवारा पो0-किशुनवारा थाना-पातेपुर जिला वैशाली एम0सी0एस-एफ 88853	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	अनिल कुमार पिता-रमा राम ग्राम-घोघराहा पो0-सिगरहिया थाना-सहियारा जिला-सीतामढी एम0सी0एस-एफ 91570	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
19	उषा देवी पति-नगीना चौधरी ग्राम-नन्दलाल बिगहा पो0-ससा थाना दाउद नगर जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-एफ 80960	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

20	मास्टर सुमित मिश्रा पिता-ब्रजेन्द्र कुमार मिश्रा ग्राम-बेदौली पो0-शहर रामपुर थाना-नौबतपुर जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 92631	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	प्रेम शीला देवी पति-शिवु राम ग्राम-अजमतपुर दामु पो0-बिदुपुर आर0 एस0 थाना-बराटी जिला-वैशाली एम0सी0एस-एफ 93428	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	अजमेरी खातुन पति-मो0 युनुस ग्राम-पक्की तालाब कटरापर पो0+थाना-बिहार शरीफ जिला नालंदा एम0सी0एस-एफ 91586	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
23	कपलेश्वर यादव पिता-रामजी यादव ग्राम-एकडारा पोस्ट-बाघा कुसमार थाना-खुटौना जिला-मधुबनी एम0सी0एस-एफ 94965	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	विन्दा देवी पति-कवलेश्वर साह ग्राम-फुलुगनी टोला लोहरपटी पो0-लकडी दरगाह थान-थावे जिला गोपालगंज एम0सी0एस-एफ 94510	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	प्रवीण कुमार पिता-प्रमोद कुमार सिंह ग्राम-अहियापुर पो0-पैनाल थाना-बिहटा जिला पटना एम0सी0एस-एफ 94928	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
26	शिवम कुमार पिता-सोनु कुमार ग्राम-शाहपुर पो0-दानापुर थाना शाहपुर जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 80700	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

27	मासो नसीमा पति-इब्राहीम ग्राम-उतर टोला अररिया बस्ती पो0-बैरगाछी थाना-बैरगाछी आ0पी0 जिला-अररिया एम0सी0एस-एफ 95056	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
28	सुरेन्द्र राय पिता-लखन राय ग्राम-नवटोल झझारपुर पो0-झझारपुर थाना-आ0 एस0 जिला-मधुबनी एम0सी0एस-एफ 93623	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	बेबी देवी पति/पिता-राम प्रसाद ग्राम-कधिया टोला चद्र महाराज का गढ पो0-झाउगज थाना खाजेकला जिला पटना एम0सी0एस-एफ 94993	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	पिकी देवी पति-श्यामजी प्रसाद ग्राम-नई गोदाम महारानी रोड पो0-आर0 एस0 गया थाना-कोतवाली जिला गया एम0सी0एस-एफ 83543	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	शिवपुजन चौबे पिता-स्व0 मगल चौबे ग्राम+पो0-कल्याणपुर थाना कल्याणपुर जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 94513	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	पाडव यादव पिता रास लाल यादव ग्राम-पथराही पो0-पथराही थाना-लदनियाँ जिला-मधुबनी एम0सी0एस-एफ 90936	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
33	विवेक कुमार यादव पिता-बालेश्वर यादव ग्राम-जय राम परासी पो0-चतरा थाना-अरार जिला-मधेपुरा एम0सी0एस-एफ 93450	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

34	सबिता देवी पति-देवेन्द्र कुमार साह ग्राम-विजय लालगंज वार्ड 07 पो0 ढोलबज्जा थाना-रूपौली जिला पूर्णिया एम0सी0एस0 न0-एफ 91948	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	कौशल कुमार पिता-गुरुदेव दास ग्राम+पो-कोच थाना-कोच जिला गया एम0सी0एस-एफ 84264	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
36	देमती देवी पति-सुरेन्द्र प्रसाद ग्राम-शिवपुरी रामचंद्रपुर पोस्ट-बिहार शरीफ थाना-लहेरी जिला-नालदा एम0सी0एस-एफ 50138	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
37	रौशन कुमार पिता-बसंत कुमार सहनी ग्राम+पो-रायपुर बुजुर्ग थाना-सराय रजन जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 94104	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	मो0 काशीक पिता-नुरूल हक ग्राम-मोगलपुरा पार्टी गली पटना सिटी पो0-झाउगज थाना-खाजेकला जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 93586	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
39	चुन्नु लाल पिता-सातवान प्रसाद ग्राम+पो0-जैतिया थाना-गौरीचक जिला पटना एम0सी0एस-एफ 83954	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
40	लड्डु यादव पिता-महेश्वर यादव ग्राम-शाहनगर वार्ड 02 पो0-रामगढ थाना-रामगढ जिला-लखीसराय एम0सी0एस-एफ 94079	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

41	शोभा देवी पति-युगल किशोर राय ग्राम-हलीमपुर पो0-रजवाडा थाना-साहेबगज जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-एफ 85678	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	गनीता कुमारी पति रामु कुमार ग्राम-कटकुइया पो0-अहिराकिया थाना-चिरैया जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 94039	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	मो0 रब्बान पिता-मो0 बसीर ग्राम+पो0-तेघरा थाना-तेघरा जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 93183	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
44	सिकदर मडल पिता-सहदेव मडल ग्राम-दीनदयालपुर वार्ड 02 पो0-कोदडा थाना-शाहकुड जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 92774	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	बसमतिया देवी पति-जगनाथ सिंह ग्राम+पो0-बेनसागर थाना-काराकाट जिला-रोहतास एम0सी0एस-एफ 91894	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	बेबी देवी पति-हरे राम सहनी ग्राम-गोढियारी पो0-बखरी थाना-बखरी पुलिस स्टेशन जिला बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 94833	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
47	पप्पु कुमार पिता-रोहन बिद ग्राम-वार्ड 12 महदीपुर पो0-पडौल थाना-शकुराबाद जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-एफ 83834	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

48	सुरेन्द्र गोप पिता-सिधेश्वर गोप ग्राम-पोस्ट-गोधना थाना-बछवाडा जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 92285	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	चन्दन पोद्दार पिता-स्व0 महेन्द्र पोद्दार ग्राम+पो0 भान थाना+जिला मधेपुरा एम0सी0एस-एफ 91956	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	रिक्कु देवी पति-भवेश यादव ग्राम-जमुनिया पो0-जमुनिया थाना-परबता जिला खगडिया एमसी0एस-एफ 94437	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	राजा दास पिता-वालेश्वर राम ग्राम-गगा बिगहा पो0-डेमा फतेहपुर थाना-खिजर सराय जिला-गया एमसी0एस-एफ 66542	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	कुलवन्ती देवी पति-मोती लाल चौहान ग्राम-अभिमनवा पोस्ट-खुजवा थाना-रघुनाथपुर जिला सीवान एमसी0एस-एफ 91756	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	पाचु मोची पिता-आनी मोची ग्राम-जिनेदपुर पो0-रजौरा थाना-मुफ्फसिल पी0एस0 जिला बेगुसराय एमसी0एस-एफ 94618	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
54	जबाहिर महतो पिता-हरुनी महतो ग्राम-शोभेपुर पो0+थाना -भेल्दी जिला सारण एमसी0एस-एफ 91655	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

55	सुमा देवी पति-स्व० मेवा लाल राजवशी ग्राम-डोपटा वार्ड 2 पो०-बकसण्डा थाना-रजौली जिला नवादा एमसी०एस-एफ 94347	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	रामबाबु यादव पिता-फगुनी यादव ग्राम+पो०-पिलखवाडा थाना-राज नगर जिला-मधुबनी एमसी०एस-एफ 94872	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	बबन यादव पिता-बैजनाथ यादव ग्राम-हेम्दापुर वार्ड 02 पो०-परसीया थाना-ब्रह्मपुर जिला-बक्सर एमसी०एस-एफ 94798	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	सुनीता देवी पति-जज सहनी ग्राम-डुमरी पो०-सुगौली थाना-सुगौली जिला-पूर्वी चम्पारण एमसी०एस-एफ 93315	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	सकुन्ती देवी पति-जीवछ मेहता ग्राम-पिपराही पट्टी पोस्ट-बसावन पट्टी थाना-रतनपुर जिला-सुपौल एमसी०एस-एफ 92586	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	हरखीत प्रसाद पिता-राजेश्वर प्रसाद ग्राम-मानपुर पो०-बैरिया थाना-गोपालपुर जिला पटना एमसी०एस-एफ 95158	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
61	हरिचरण ठाकुर पिता-जीवछ ठाकुर ग्राम-मन्नुपुर खर्वा पोस्ट-साधोपुर थाना-हायाघाट जिला दरभंगा एमसी०एस-एफ 94951	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

62	ब्रदी प्रसाद साह पिता-गुणेश्वर साह ग्राम-अरगरा चौक मणि कोलनी, पो0-मधुबनी थाना-के0 हाट जिला-पूर्णिया एमसी0एस-एफ 95390	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	यमुना प्रसाद यादव पिता-गुणेश्वर यादव ग्राम-बगराहा पो0-बसुआरी थाना-घोघरडीहा जिला-मधुबनी एमसी0एस-एफ 94204	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	धर्मशीला देवी पति चन्द्र भुषण सिंह ग्राम-चकिया पो0-अनाईठ थाना-उदवन्त नगर जिला-भोजपुर एमसी0एस-एफ 94283	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	ललिया देवी पति-मगल सरदार ग्राम+पो0-जय नगर थाना-भरगामा जिला अररिया एमसी0एस-एफ 93122	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	फरजाना खातुन पति-मो0 झुन्नु ग्राम-मीरा बीगहा पो0-टेहटा थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-एफ 92556	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
67	फुलिया देवी पति-चन्द्रशेखर पासवान ग्राम-मधुपुर वार्ड 12 पो0-अलौली थाना अलौली जिला खगडिया एम0सी0एस-एफ 93894	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
68	धुरेन्द्र कुमार पिता-मगरू यादव ग्राम-लछनौता पो0-धमौरा थाना-साठी जिला प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 89950	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

69	सजनेश्वर मिश्रा पिता-स्व० श्रीकांत मिश्रा ग्राम-गढिया वार्ड 09 पो०-गढिया थाना-बनगाव जिला-सहरसा एम०सी०एस-एफ 93364	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	रूबी देवी पति-विरेन्द्र कुमार ग्राम-मीठा कुआँ वार्ड 15 पो०+थाना-पालीगज जिला-पटना एम०सी०एस-एफ 94984	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	कुमकुम देवी पति लाल बाबु लाल ग्राम-कात वार्ड 10 पो०-कात थाना-ब्रहापुर जिला-बक्सर एम०सी०एस-एफ 87358	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	धिरज कुमार पिता-स्व० उमाकान्त चौधरी ग्राम-औगान वार्ड 14 पो०-दहिया थाना भगवानपुर जिला बेगुसराय एम०सी०एस-एफ 93021	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	सत्य नारायण सिंह पिता-स्व० सुरेश सिंह ग्राम अमियर बीघा पो-गरडीह थाना-सलैया जिला औरंगाबाद एम०सी०एस-एफ 33842	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	दोहारी देवी पति-चन्देश्वर महतो ग्राम-रसुलपुर पो०+थाना-नया गाव जिला सारण एम०सी०एस-एफ 93430	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
75	रीता देवी पति-बृजनदन राजवशी ग्राम-गारो बिगहा पो०-धानवा थाना-नरहट जिला-नवादा एम०सी०एस-एफ 80529	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

76	पिन्दु साह पिता-ईश्वर साह ग्राम-गौरीपुर पो0-दुधारी थाना+जिला-बाका एम0सी0एस-एफ 91325	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	बाल्मिकी सिंह पिता-लाखन सिंह ग्राम+पो0-वालीपुर थाना-पिपरीया जिला लखीसराय एम0सी0एस-एफ 94573	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	लालवती देवी पति-राम किशोर सिंह ग्राम-इस्लामपुर पो0-कटरमाला थाना-गौरौल जिला-वैशाली एम0सी0एस-एफ 93995	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	हरेन्द्र प्रसाद पिता-रामध्यान महतो ग्राम-पचरूखीया पो0+थाना-मलाही जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 94185	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	मनोहर आचार्य पिता स्व0 उपेन्द्र आचार्य ग्राम-आचार्य टोला पकरा पो0-पकरा थाना-नवगछीया जिला भागलपुर एम0सी0एस-एफ 92314	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	फिरोज आलम पिता-रोजादिन आलम ग्राम-तैया डुमरी पो0-मराछी थाना-लकडी नवीगज जिला सीवान एम0सी0एस-एफ 71931	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
82	नूर नेशा पति-सेराजुल हक ग्राम-देवापुर अकिल टोला पो0+थाना-मझा जिला गोपालगज एम0सी0एस-एफ 84794	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

83	आशा देवी पति-रघुवीर साह ग्राम-माला पो0 बायसी थाना-बायसी जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-एफ 93539	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	सुशील कुमार पिता स्व0 राधे श्याम यादव ग्राम-सुकहसनी पो0-बसहा थाना-पिपरा जिला-सुपौल एम0सी0एस-एफ 92106	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	सुशीला देवी पति-स्व0 सतोष पाण्डेय ग्राम+पो0-खुटिया थाना-शिव सागर जिला-रोहतास एम0सी0एस-एफ 94208	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	राम कुमारी देवी पति-राम लक्ष महतो ग्राम-नवडेगा पो0-दोहत नारायण थाना-बहेरी जिला-दरभंगा एम0सी0एस-एफ 95141	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	सुरती देवी पति-पोखन यादव ग्राम-तिलवरीया पोस्ट-पैरमठिया थाना-सोनो जिला जमुई एम0सी0एस-एफ 91620	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	अवधेश सिंह पिता-अम्बिका सिंह ग्राम-टेटुआ पो0-अत्रि थाना-अतरी जिला-गया एम0सी0एस-एफ 80279	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
89	रमेश लाल महलदार पिता-खुबी लाल महलदार ग्राम-हाट टोला पिछला पो0-सुरजापुर थाना+जिला किशनगज एम0सी0एस-एफ 92321	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

90	सुगान्ती देवी पति-कमलदेव सिंह ग्राम+पो0-पडितपुर थाना-जनता बाजार जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 85141	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
91	जय प्रकाश पासवान पिता-शिव नारायण पासवान ग्राम+पो0-सुरिहारी थाना-अमरपुर जिला-बाका एम0सी0एस-एफ 91860	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
92	मो0 नाजीब पिता-नसीरुद्दीन ग्राम-एकरा पो0-लोहरदगा थाना-गर्भडागा जिला-किशनगज एम0सी0एस-एफ 94376	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
93	लाखपति शर्मा पिता-भोनी शर्मा ग्राम-बरियारपुर पो0-राहतपुर थाना-बलिया पुलिस स्टेशन जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 94464	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
94	धर्मवेन्द्र भगत पिता-राम एकबाल भगत ग्राम-पानापुर रघुनाथपुर पो0-तैयबपुर थाना-देसरी जिला-वैशाली एमसी0एस-एफ 94572	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
95	राकेश कुमार पिता-हरीनाथ दास ग्राम-बहलोलपुर वार्ड 08 पो0-भगवानपुर थाना-भगवानपुर जिला-वैशाली एम0सी0एस-एफ 95369	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
96	मो0 अनवर खान पिता-अब्दुन अजीज ग्राम-दारा नगर बाजार पो0-बाजार थाना-नौहट्टा जिला-रोहतास एम0सी0एस-एफ 90662	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

97	दीपकली देवी पति-ब्रिज किशोर सिंह ग्राम-परसौनी कपुर पो0 पताही थाना-पताही जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 78765	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
98	सुनीता देवी पति-बिनोद कुमार ग्राम-गोपाल साह हाई स्कूल रोड ज्ञान बाबु चौक के पास पोस्ट-मोतिहारी थाना-टाउन जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 88320	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
99	कन्हैया साह पिता-जादो साह ग्राम+पो0-झीकटीया थाना-लखैरा जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 93848	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
100	चन्द्रशेखर सिंह पिता-स्व0 बसुदेव सिंह ग्राम-दिना चकला पो0-दिना चकला थाना-पसराहा जिला-खगडिया एम0सी0एस-एफ 91350	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
101	नयनपति देवी पति-सबुरी साह ग्राम-नरियरवा बेलवा राय टोला पो0-नरियरवा थाना-तुरकौलीया जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 91346	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
102	गीता देवी पति-अच्छेलाल यादव ग्राम-तेतहली दखिन टोला पो0-तेतहली थाना-बडहरिया जिला-सीवान एम0सी0एस-एफ 82166	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
103	रामाधार साह पिता नागेन्द्र साह ग्राम-धोबहा टोला रखही पो0-रखही थाना-शिकारपुर जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 94876	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

104	साबरा बेगम पति-बेलालुदीन शेख ग्राम-गोबिन्दपुर वार्ड 08 पो0-मुस्तफाबाद थाना-गोरैया काठी जिला सीवान एम0सी0एस-एफ 94897	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
105	गुडिया देवी पति-धनबाबु सिंह ग्राम-अतिमि पोस्ट-अतिमि थाना-नासरीगज जिला-रोहतास एम0सी0एस-एफ 92448	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
106	विनोद यादव पिता-अनुपलाल यादव ग्राम-बभनी पो0-बरेटा थाना-फलाका जिला-कटिहार एम0सी0एस-एफ 94504	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
107	सुशीला देवी पति-रामपुकार राय ग्राम-सोठगामा पो0-बनघारा थाना-विद्यापती नगर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 93776	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
108	सगीता देवी पति अजय राम ग्राम-बीजा पो0-डोभी थाना-डोभी जिला गया एम0सी0एस0 न0-एफ 91031	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
109	शाहजहां बीबी पति-अजीज असारी ग्राम-बासा पो0-करवांदिया थाना-सासाराम जिला-रोहतास एम0सी0एस-एफ 94162	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
110	सजु देवी पति-महेन्द्र केवट ग्राम-लालगज चडी पो0-चडी थाना-चडी जिला नालदा एम0सी0एस-एफ 92122	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

111	उत्तीम देवी पति-अर्जुन शर्मा ग्राम-बेरी पो0-लहड़ा थाना-पौथु जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-एफ 93184	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
112	विष्णुदेव दास पिता-गुजन दास ग्राम+पो0-गंगा सराय थाना-बडहिया जिला लखीसराय एमसीएसन0-एफ 93750	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
113	मो0 रफिल पिता-मो0 सफीलउद्दीन ग्राम-साहापार पो0-आबादपुर थाना-आबादपुर जिला-कटिहार एमसीएसन0-एफ 95282	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
114	जागो देवी पति-भगवान प्रसाद यादव ग्राम-गुलाब बाग पोस्ट+थाना-बाढ़ जिला-पटना एमसीएसन0-एफ 95053	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
115	मो रिजवन असारी पिता-मो0 नसीम असारी ग्राम-गुदरी बाजार पो0+थाना-बैरगनीया जिला-सीतामढी एम0सी0एस-एफ 91602	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
116	गोलु कुमार पिता-स्व0 भोला प्रसाद ग्राम-दुजरा चक बुद्धा कोलनी पो0-जी0पी0ओ0 थाना-बुद्धा कोलनी जिला पटना एमसीएसन0-एफ 94026	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
117	अमर कान्त मडल पिता-स्व0 कृष्णकांत शास्त्री ग्राम-रामबाग प्रोफेसर कोलनी पो0-पूर्णिया थाना-सदर जिला-पूर्णिया एमसीएसन0-एफ 95314	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

118	दिनेश मेहता पिता-नारायण मेहता ग्राम-पामा पो0-पामा थाना-पस्तपार जिला-सहरसा एमसीएस न0-एफ 92660	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
119	लाल बाबु शर्मा पिता-स्व0 मेवा शर्मा ग्राम-बढई टोला बानु छापर पो0-बानु छापर थाना-मुफ्फसिल जिला-प0 चम्पारण एमसीएसन0-एफ 94523	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
120	सविता देवी पति-कृष्णा पासवान ग्राम+पो0-डेमा थाना-मोहनपुर जिला गया एमसीएस न0-एफ 82205	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
121	अनील प्रसाद पिता-स्व0 रामव्रत सिंह ग्राम-अबगीला देवी स्थान पो0-बुनियादगज थाना-मुफ्फसिल जिला-गया एमसीएस न0-एफ 93857	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
122	प्रवेश पडित पिता-स्व0 बच्चु पडित ग्राम-छोटी पैठना पो0-बडी पैठना थाना-इस्लामपुर जिला नालदा एमसीएस नं0-एफ 91869	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
123	गुड्डि देवी पति-पप्पु पोद्दार ग्राम-भदरार भतकुडी पोस्ट-भतकुडी थाना+जिला-बाका एम0सी0एस-एफ 92775	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
124	राज किशोर महतो पिता-स्व0 शभु महतो ग्राम-फतेहपुर पकडी पो0-पिरोई थाना-महुआ जिला वैशाली एमसीएस न0-एफ 95205	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

125	ममता देवी पति-उतीम प्रसाद ग्राम+पो0-बेला थाना-रामगढवा जिला-पूर्वी चम्पारण एमसीएस न0-एफ 92195	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
126	मो0 जैनुल पिता-समसुद्दीन ग्राम-मुस्लिम टोला वार्ड 12 पो0-सरौनी कला थाना-बिहारीगज जिला मधेपुरा एमसीएस न0-एफ 87802	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
127	शोएब खा पिता-नूर मोहम्मद खा ग्राम+पो0 पैठान कबड़ थाना-नेहरा जिला-दरभंगा एमसीएस न0-एफ 94862	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
128	सिकेन्द्र सादा पिता-राम प्रवेश सादा ग्राम-कचौत पो0-सलखुआ थाना सलखुआ जिला-सहरसा एमसीएस न0-एफ 93570	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
129	पैरू यादव पिता-स्व0 सुखदेव यादव ग्राम-चननडीह पो0-जमदाहा थाना कटोरिया जिला-बाका एमसीएस न0-एफ 94416	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
130	कुती देवी पति-नन्द किशोर प्रसाद ग्राम-महरिया पोस्ट-किजर थाना-किजर जिला-अरवल एमसीएस न0-एफ 94911	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
131	राम किशोर महतो पिता-ब्रदी महतो ग्राम-अमरपुरा टोला लक्ष्मणपुर पोस्ट-अमरपुरा थाना-महम्मदपुर जिला-गोपालगज एमसीएस न0-एफ 91926	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

132	विश्वनाथ पोद्दार पिता-स्व० मोती मोद्दार ग्राम-गाजीपुर पुरानी बाजार पो०-तारापुर थाना-तारापुर जिला मुगेर एमसीएस नं०-एफ 93318	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
133	सोनी देवी पति-दल्लु ठाकुर ग्राम-आलुबथान पोस्ट-औराही गोविंदपुर थाना-बी० कोठी जिला-पूर्णिया एम०सी०एस-एफ 94224	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
134	राकेश राय पिता-रामा शकर राय ग्राम-शिव नगर वैशाली पो०-जुरावनपुर बरारी थाना जुरावनपुर जिला-वैशाली एम०सी०एस-एफ 86157	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
135	उपेन्द्र साह पिता-शिव साह ग्राम-मुसेपुर पो०-सिधिया थाना-सिधिया जिला-समस्तीपुर एम०सी०एस-एफ 93039	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
136	नीरज कुमार पिता-शिव शकर सिंह ग्राम-दौलतपुर पो०-बिशनपुर थाना-बेलहर जिला बांका एम०सी०एस-एफ 94708	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
137	कौशल पडित पिता-जगदीश पडित ग्राम-एरौरा पो०-दुलारपुर थाना-उदवतनगर जिला भोजपुर एम०सी०एस-एफ 93337	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
138	द्वारिका रजक पिता-किशुन रजक ग्राम-धरम बिगहा पोस्ट-शेवतर थाना-अतरी जिला-गया एम०सी०एस-एफ 90222	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

139	मुर्ती देवी पति-लाल बौआ यादव ग्राम-नरुआर वार्ड 5 पो0-नरुआर थाना-भैरव स्थान जिला-मधुबनी एम0सी0एस-एफ 95185	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
140	ठाकुर हॉसदा पिता-पुलिस हॉसदा ग्राम-कचनबाडी पो0-झगरुचक थाना फलका जिला-कटिहार एम0सी0एस-एफ 91178	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
141	शकर महतो पिता-सियालाल महतो ग्राम+पो0-मसिना थाना-खानपुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 94831	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
142	मनोज कुमार मडल पिता-राम चद्र मडल ग्राम-खुश्की बाग हाट पोस्ट-खुश्कीबाग थाना-सदर जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-डी0 94227	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
143	चदा देवी पति-राकेश कुमार ठाकुर ग्राम+पो0-रगरा थाना-रगरा ओ0पी0 जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 85760	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
144	लालमती देवी पति-पोसन राम ग्राम-महैचा पो0-मीरगज थाना-उचकागाव जिला-गोपालगज एम0सी0एस-एफ 88262	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
145	रिकी देवी पति-अजय यादव ग्राम-कमलकुण्ड बाबुटोला पो0-तिनटगा करारी थाना-गोपालपुर जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 94189	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

146	धर्मशीला देवी पति—राम एकबाल राय ग्राम—बस्ती खोआजपुर पो0—पसतरा थाना—बलीगाव पातेपुर जिला—वैशाली एमसी0एस—एफ 93843	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
147	खगेन्द्र प्रसाद सिंह पिता—कमल प्रसाद सिंह ग्राम—बीरपुर वार्ड 2 पो0—दलुआहाट थाना—पोठिया जिला—किशनगज एमसी0एस—एफ 94492	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
148	चमेली देवी पति—स्व0 इन्द्रदेव प्रसाद ग्राम+पो0—सिकन्दरपुर थाना—शकुराबाद जिला—जहानाबाद एमसी0एस—एफ 91093	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
149	मोहम्मद मुस्लिम मिया पिता—अब्दुल रशीद ग्राम—बनिया बिगहा पो0—तेतरिया थाना—गोविन्दपुर जिला—नवादा एमसी0एस—एफ 95548	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
150	रामजी चौहान पिता—उमराव चौहान ग्राम—कनैला पो0—कन्हौली थाना—दरौली जिला—सीवान एमसी0एस—एफ 80483	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
151	बेबी देवी पति—रमण यादव ग्राम—सकरैली पो0—सीमापुर थाना—बरारी जिला—कटिहार एमसी0एस—एफ 91559	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
152	विमला देवी पति—रघुनाथ साह ग्राम—दीवारी पोस्ट—कवरिया थाना—सदर जिला—दरभंगा एमसी0एस—एफ 94112	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

153	दिलीप कुमार पिता-देव नारायण शर्मा ग्राम+पोस्ट-कविया थाना-भगवानपुर जिला-बेगूसराय एम0सी0एस-एफ 92209	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
154	गौरी देवी पति-प्रभाष साहु ग्राम-दलदल पो0-दलदल थाना-भेजा जिला-मधुबनी एम0सी0एस-एफ 92986	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
155	भुषण सिंह पिता-विधनाथ सिंह ग्राम+पो0 कैथी थाना-चौथम जिला-खगडिया एम0सी0एस-एफ 94641	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
156	रमाशकर प्रसाद पिता-दुखभजन प्रसाद ग्राम-नवादा पो0-भैरवा थाना भैरवा जिला सीवान एम0सी0एस-एफ 52267	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
157	ललितु देवी पति-केदार चौधरी ग्राम-तेतरी पो0-मोहनपुर थाना-गौरीचक जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 91290	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
158	सत्य नारायण मुखिया पिता-आनदी मुखिया ग्राम बरीबन पो0-सहसौल थाना-बसनही जिला सहरसा एम0सी0एस-एफ 94735	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
159	सत्रुधन सिंह पिता- ढोढराय सिंह ग्राम- सिसौनी पो0- सिसौनी कोठी थाना- डडारी जिला- बेगूसराय एमसीएस न0- एफ 93260	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
160	राज किशोर तिवारी पिता- भरत तिवारी ग्राम- तिवारी टोला अशोक पकडी पो0- अशोक पकडी थाना- पीपरा जिला- पूर्वी चम्पारण एमसीएस न0- एफ 93842	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

161	मगली देवी पति- सुनील मडल ग्राम- सगीत बहिता पो- सगीत बैटा थाना- अतीचक जिला- भागलपुर एमसीएस न०- एफ 95631	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,25,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,25,50,000/- (एक करोड़ पच्चीस लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 19694 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 3601018437 खाता धारक का नाम- 'महावीर कैसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी०जी०) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष', खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1535(14)

पटना, दिनांक 04/6/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 19694 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक ...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आशा देवी पति- स्व० किशोरी साह ग्राम- मिरचायपट्टी जयनगर पो०+थाना- जयनगर जिला- मधुबनी सीआर न०- 108112500947852	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	विनोद पटेल पिता- बहादुर पटेल ग्राम- बहुहरवा पो०- सुगहा भवानीपुर थाना- कगली जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न०- 1081123200099679	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	चंद्रदेव ठाकुर पिता- बिदन ठाकुर ग्राम- ऐवधा पो०- बीता देवधा थाना- हसनपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न०- 108112300968227	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	बृजेश कुमार पिता- स्व० सुखराम दास ग्राम- बरवाचाप वार्ड 10 पो०- जैतिया थाना- चनपटिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न०- 108112500356455	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	नागेश्वर प्रसाद पिता- गुरुचरण यादव ग्राम- काको बिगहा पो0- मघडा थाना- दीपनगर जिला- नालदा सीआर न0- 108112500838719	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	शर्मिला कुमारी पति- शकर महतो ग्राम- बीरगज पो0+थाना- मसूरचक जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112300253902	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	महेन्द्र यादव पिता- रूपन यादव ग्राम- रतनी पो0- तेघडा थाना- हवेली खडगपुर जिला- मुगेर सीआर न0- 108112500501919	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	सोनम कुमारी पिता- प्रदीप कुमार धीर ग्राम+पो0+थाना- जाले जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112501272417	गैस्ट्रो सर्जरी रोग	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
9	खैरून निसा पति- मो0 सदन ग्राम- बेगम की हवेली पानी टंकी पटना सिटी पो0- झाऊगंज थाना- खाजेकला जिला- पटना सीआर न0- 108112501190364	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
10	भोला विश्वकर्मा पिता-सीता राम मिस्त्री ग्राम-मस्तलिपुर पो0-बारागधार थाना मुफसिल जिला-गया सीआरन0-108112500402911	CNG/C KD 5D	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			7,65,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,65,000/- (सात लाख पैसठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196711 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम-“निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना”खाते का प्रकार-चालु,बैंक का

नाम—इंडियन बैंक, शाखा का नाम—आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड स0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- 5 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

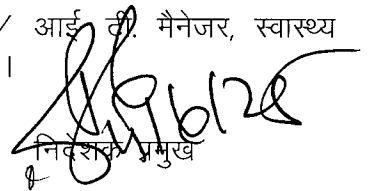
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1536(14)

पटना, दिनांक 04/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196911 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

महावीर आरोग्य संस्थान,

नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज,

अपोजीट पेट्रोल पम्प,

कंकड़बाग, पटना- 800020

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रभावती देवी पति- वृदा राम ग्राम- सरेया बसंत वार्ड 14 पो0- सरेया बसंत थाना- तरैया जिला- सारण रजि न0- 2526/7950	हृदय रोग एमवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2				
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 186911.. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-1843085503 खाता धारक का नाम-निदेशक "महावीर आरोग्य संस्थान, नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज, कंकड़बाग पटना 20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, चिरैयाटांड, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282213 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय ।

इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1537(14)

पटना, दिनांक

04/6/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176911...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय ।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०,
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक .

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्राभा देवी पति- प्रमोद राम ग्राम- सेमराहा वार्ड 03 पो०- बेलौर थाना- पानापुर जिला- सारण	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	चितरजन प्रसाद सिंह पिता- पलकधारी सिंह ग्राम- नारायण पुर पो०- झाझारा थाना- के अस्थान जिला- दरभंगा	हृदय रोग सीएबीजी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	खुशी कुमारी पिता- दुर्गेश कुमार राम दास ग्राम- डुमरिया भट्टा वार्ड 29 पो०+थाना- किशनगज जिला- किशनगज	हृदय रोग एएसडी क्लोजर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	अरविन्द पासवान पिता- चंद्रदेव पासवान ग्राम- दामोदरपुर बलधा पो०- दामोदरपुर थाना- नगरनौसा जिला- नालदा	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
5	साजिदा खातून पति- मो० एनामुल हक ग्राम- इसा नगर नहर पर नया टोला बैतूल करीम मस्जिद पो०- फुलवारी शरीफ थाना- फुलवारी जिला- पटना	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

6	उमेश चद्र साह पिता- लक्ष्मी साह ग्राम+पो0- बनचौरी थाना- डुमरा जिला- सीतामढी	हृदय रोग एवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	बेनजीर खातून पति- मो0 इस्लाम ग्राम+पो0- नरियार थाना- सहरसा जिला- सहरसा	हृदय रोग सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	जीनत खातून पति- मो0 कलीमुद्दीन ग्राम- हरिनारायणपुर पो0- मेहसी थाना- मधुबन जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग डीवीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			7,90,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,90,000/- (सात लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196911 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम- "निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकडबाग, पटना" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम- इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम- कंकडबाग, पटना (1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1538(14)

पटना, दिनांक 04/6/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196911..... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक.....

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सिमा देवी पति— अरविन्द कुमार पाडेय ग्राम— कैलाशपुरी चादमारी रोड पो०— टारी थाना— मुफ्फसिल जिला— सारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	परी कुमारी पिता— मुकेश उपाध्याय ग्राम+पो०+थाना— शाहपुर जिला— भोजपुर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	बबिता पति— रोहित कुमार पाडेय ग्राम— रेपुरा वार्ड 08 पो०— पिरौटा थाना— बनियापुर जिला— सारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	अखिलेश कुमार पिता—स्व० बगाली महतो ग्राम—मेन रोड वारसलीगज पो०—वारसलीगज थाना—वारसलीगज जिला नवादा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	सुबोध झा पिता-राजेश्वर झा ग्राम-सतरवार पो0-महिषी थाना-महिषी जिला-सहरसा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	माधुरी देवी पति-आशकरण शर्मा ग्राम-तिलौती वार्ड 10 पो0-शेखपुरा थाना-हसपुरा जिला-औरंगाबाद	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	जानकी देवी पति-ओम प्रकाश गोस्वामी ग्राम-नयाचक वार्ड 4 पो0-मनोहरपुर कछुआरा थाना-रामकृष्ण नगर जिला-पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	महेन्द्र प्रसाद पिता-स्व0 बाबु चन्द प्रसाद ग्राम-लोदीपुर पो0-कोरियोबा थाना-एकगरसराय जिला-नालन्दा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	शिव कुमारी देवी पति-शिव पुजन महतो ग्राम-आमदीपुर वार्ड 06 पो0-धरनी पट्टी थाना-शाहपुर पटोरी जिला-समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	रजय तिवारी पिता-बृजनदन तिवारी ग्राम-बिशुनपुरा पो0-बामपाली थाना उदवत नगर जिला-भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	पुजा कुमारी पिता उमेश प्रसाद गुप्ता ग्राम-गडहनी पो0 गडहनी थाना-चरपोखरी जिला-भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	रुखसार खातुन पति-मो0 सादुल्ला ग्राम+पो0-गोगरी थाना-गोगरी जिला-खगडिया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

13	शमा प्रवीण पति-कौसर ग्राम+पो0+थाना-अस्थावा जिला-नालदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	सुमन देवी पति-सुनिल राय ग्राम-पुरानी पानापुर पो0-दीघा थाना-दानापुर जिला-पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	बुधनी देवी पति-राधा किशुन यादव ग्राम-पाण्डेयपुर पो0-महुआर थाना-ब्रह्मपुर जिला-बक्सर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	शकुन्तला देवी पति-विजय यादव ग्राम-आलमपुर वार्ड 11 पो0-दिहली थाना-दुल्हिन बाजार जिला-पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	भिखारी ठाकुर पिता-चुलाई ठाकुर ग्राम+पो0-नरहा थाना-सुप्पी जिला-सीतामढी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	अलका कुमारी पिता-बैद्यनाथ झा ग्राम-खाडा पो0-खाडा थाना-उदाकिशुनगंज जिला-मधेपुरा	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
19	शब्बाना खातुन पति-मो0 अजार अहमद गौसी ग्राम-भदई वार्ड 11 पोस्ट-भदई थाना-हथौडी जिला-मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
20	धैयर्ता देवी पति-कुरुणाकर झा ग्राम+पो0-सखुआ थाना-पिपरा जिला-सुपौल	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

21	इन्द्रदेव राय पिता-भगवान राय ग्राम-पिपरहीर्यो पो0-लौहर फरना थाना-मुफ्फसिल जिला-भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
22	शभु साह पिता-स्व0 बालगोविन्द साह ग्राम-मियाचक चट्टी रोड वार्ड 34 पो0+थाना-बेगुसराय जिला-बेगुसराय	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
23	सुरैया यासमीन पिता मो0 कुदुस ग्राम-सालेहचक पोस्ट-हुसैना थाना-बलिया जिला-बेगुसराय	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
24	छेवल रविदास पिता-सहदेव रविदास ग्राम+पो0-कटरिया थाना कुर्सेला जिला-कटिहार	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
25	शाहीद हुसैन पिता-मो0 अयुब ग्राम-परौली टोला लछुआ पो0-सोहिलपट्टी थाना-बसतपुर जिला-सीवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
26	अनिता देवी पति-विजय कुमार गुप्ता ग्राम-भटवलिया पो0-भटवलिया थाना-संग्रामपुर जिला-पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
27	रुबी कुमारी पति-सुशील कुमार ग्राम-टोंडा पो0+थाना-मोहीउददीन नगर जिला-समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
28	शैलेन्द्र प्रसाद गुप्ता पिता-स्व. जगदीश प्रसाद गुप्ता, ग्राम-डी0 एन0 सिंह घाट रोड जोगसर पो0-प्रधान डाकघर थाना-आदमपुर ओ0पी0 जिला-भागलपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

29	मन्नी कुमार पिता-सुलेन्द्र मुखिया ग्राम-झिटकिया भेला वार्ड 5 पो0-अमिरता थाना-बसनही जिला-सहरसा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	रबिता कुमारी पति देवकात कुमार राय ग्राम-चिरैयाटोक पो0-चिरैया टोक थाना-बछवाडा जिला बेगुसराय	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	रुबी देवी पति-राजन कुमार सिंह ग्राम+पो0-बगरा थाना-दाउदपुर जिला-सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	जय.प्रकाश झा पिता-महावीर झा ग्राम-बलहा वार्ड 13 पो0-बलहा थाना-परबता जिला खगडिया	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
33	सरोजनी देवी पति-अर्जुन साह ग्राम-गांधी पथ वार्ड 39 पो0-सहरसा थाना+जिला सहरसा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	भुषण पटेल पिता-जमादार पटेल ग्राम-मलखाचक पो0-दिघवारा थाना-दिघवारा जिला सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	अनिल कुमार सिंह पिता-ब्रह्मनाथ सिंह ग्राम-शिकारपुर छपरा वार्ड 6 पो0 शिकारपुर थाना-सोनपुर जिला सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	बालेश्वर शर्मा पिता-तीन कौडी ठाकुर ग्राम-सलेमपुर पो0-सुतिहार थाना-डेरनी जिला सारण	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

37	अनुपा देवी पति-राजेन्द्र सिंह ग्राम+पो0-भगौर नारायणपुर थाना-अगिऑव बाजार जिला-भोजपुर	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
38	अनसरी खातुन पति-मो0 जहागीर ग्राम-सिपाही टोला छोटी मस्जिद पो0-पूर्णिया थाना-के0 हाट जिला पूर्णिया	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
39	लक्ष्मिनिया देवी पति-बैजु प्रसाद गुप्ता ग्राम-पोस्टल पार्क रोड न0-3 पो0-जी0पी0ओ0 थाना-जक्कनपुर जिला-पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
40	उपेन्द्र सिंह पिता-जगदीश सिंह ग्राम-फरीदनपुर पो0-डुमरी थाना-तरैया जिला सारण	टयुमर	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
41	रीता देवी पति-रामचरण सिंह ग्राम-कच्छच्चीपुर पो0 फतेहपुर गिरमिसानी थाना-पुनौरा जिला-सीतामढी	नी रिपलेस्मेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
42	आदित्य कुमार पिता-आनन्द मोहन सिंह ग्राम+पो0-रामपुर खजुरीया थाना-डुमरिया जिला-पूर्वी चम्पारण	Craniopharyng ioma	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	निशा देवी पिता राम बालक महतो ग्राम-साउथ मदिरी काठपुल हाउस न0-53 पो0-जी0पी0ओ0 थाना-बुद्धा कोलनी जिला पटना	हृदय रोग एम0भी0 आर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
44	विद्या कुमारी पिता-रजन कुमार शर्मा ग्राम+पोस्ट-अम्बा थाना-अम्बा जिला-औरंगाबाद	काइफोस्कोलि योसिम रीड	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

45	अविनिश कुमार पिता-भागेश्वर सिंह ग्राम-श्री कृष्ण नगर नियर सपही देवी मंदिर पो0-मोतिहारी थाना- टाउन जिला-पूर्वी चम्पारण	L5-S1 PIVD Planned TLIF (Spinal Surgery)	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
46	सोनाक्षी कुमारी 9yrs Child पिता-अशोक पासवान ग्राम+पो0-बासोपट्टी थाना-बासोपट्टी जिला-मधुबनी	Thoracolum bar Kyphoscolio sis	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
47	शैलेन्द्र प्रसाद पिता-भगवान दास ग्राम-कोइन्दा पो0-चोढदरगाह थाना-महुली जिला-शेखपुरा	हिप रिपलेस्मेट	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	मजु देवी पति-महेश कुमार ग्राम-सहादत नगर पो0-जैतिया थाना-धनरूआ जिला-पटना	टोटल नी रिपलेस्मेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
49	गणेश कुमार पिता-रजीत कुमार ग्राम-पो0-कासमा थाना कासमा जिला-औरंगाबाद	प्लास्टिक एनिमिया	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	पानो देवी पति-दिनेश महतो ग्राम-लक्ष्मणपुर कोठबन्ना पो0-बदरबन्ना थाना-बहेडा जिला-दरभंगा	टोटल नी रिपलेस्मेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
51	महफुजर रहमान पिता-कासिम ग्राम-बहुरा पो0-बाडाईदगाह थाना-अमौर जिला-पूर्णिया	हिप रिपलेस्मेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
52	अकित कुमार पिता- अरविन्द कुमार ग्राम- दामोदरपुर पो0+थाना- सराय जिला- वैशाली	Trauma	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।

53	पकज कुमार पिता- अशोक कुमार प्रभाकर ग्राम- बाका पो0+थाना- पौथु जिला- औरंगाबाद	कैसर रोग	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			43,90,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 43,90,000/- (तैंतालीस लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176711 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 579310110008985 खाता धारक का नाम-Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1539(14)

पटना, दिनांक

04/6/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0... 176711... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0सं0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
राजेश्वर अस्पताल,
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,
ककडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है –

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दिलीप कुमार पिता- महावीर साव ग्राम- चाचो वार्ड 08 पो0- नरियाना थाना- खैरा जिला- जमुई	ट्रामा	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	शिव नदन महतो पिता- हीरा मन महतो ग्राम- कुरहाडीह पो0- मथुरापुर थाना- सिकन्दरा जिला- जमुई	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
3	ममता देवी पति- दिलीप कुमार रजक ग्राम- मनसकामना नाथ मंदिर रोड नाथनगर पो0+थाना- नाथनगर जिला- भागलपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	इन्दु कुमारी पति- सुधीर कुमार ग्राम- बरबकपुर वार्ड 09 पो0- पिरौना थाना- गरखा जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	नीलू देवी पति— उपेन्द्र कुमार ग्राम— भगवान बाजार बैक कॉलोनी पो0— छपरा थाना— भगवान बाजार जिला— सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 4,75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,75,000/—(चार लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196911 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0— 1499002109000623 खाता धारक का नाम—“राजेश्वर अस्पताल” खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम ककडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह0/—

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

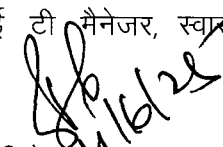
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1540(14)

पटना, दिनांक 04/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0. 196911की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,
राजाबाजार,
पटना- 800014

पटना, दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सिद्धनाथ तिवारी पिता- शिवयोगी तिवारी ग्राम+पो०- वैना थाना- सोनवर्षा जिला- बक्सर यूएचआईडी न०- 3000568371	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	डोमनी पति- इसराइल ग्राम- सौराजान पो०- फुलकाही थाना- प्रतापगंज जिला- सुपौल यूएचआईडी न०- 3000573616	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	पिटू चौधरी पिता- नागेश्वर चौधरी ग्राम- बासकोठी गेट न०- 95 पो०- दीघा घाट थाना- दीघा जिला- पटना यूएचआईडी न०- 3000533847	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	नन्दकिशोर सिंह पिता- स्व० राजनारायण सिंह ग्राम- बिलासपुर पो०- भीखमपुर थाना- भगवानपुर जिला- सिवान यूएचआईडी न०- 3000577252	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	मारुटर रियाश पटेल पिता- दीपू कुमार पटेल ग्राम- बिलारी पो०- सिलारी थाना- करगहर जिला- रोहतास रजि न०- अंकित नहीं है।	कोकलियर इम्प्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।

6	अमृत कुमार पिता— काली प्रसाद ग्राम— केला बिगहा पो0+थाना— तेल्हारा जिला— नालदा यूएचआईडी न0— 3000464381	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	सौरव सुमन पिता— बीरेंद्र मडल ग्राम— नन्दापुर पो0— मिर्जापुर थाना— बाँसी जिला— अररिया यूएचआईडी न0— 3000548372	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	द्वारिका प्रसाद सिंह पिता— राधो प्रसाद सिंह ग्राम+पो0— भुई थाना— सिलाव जिला— नालदा यूएचआईडी न0— 3000555950	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	सुनील कुमार पिता— स्व0 राम कुमार यादव ग्राम— गोरिया टोली स्टेशन रोड वार्ड 28 पो0— जी0पी0ओ0 थाना— कोतवाली जिला— पटना यूएचआईडी न0— 3000359637	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	राहुल कुमार पिता— सुरण चौधरी ग्राम— इटवा पो0— परमानंदपुर थाना— शंभुगज जिला— बाका यूएचआईडी न0— 3000544834	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	उपेन्द्र चौधरी पिता— इन्द्रदेव चौधरी ग्राम— मुंगेरीगंज पो0— बेगूसराय थाना— बेगूसराय टाउन जिला— बेगूसराय यूएचआईडी न0— 522228	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	सूरज शर्मा पिता— विश्व नाथ शर्मा ग्राम— अशोक नगर रोड न0 04 वार्ड 31 पो0— लोहिया नगर थाना— ककडबाग जिला— पटना यूएचआईडी न0— 3000170701	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

13	पनपातो देवी पति— स्व० सुधेश्वर चौधरी ग्राम— रघुरामपुर टोला पो०— चादमारी थाना— शाहपुर जिला— पटना यूएचआईडी न०—3000579629	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	अखलेश कुमार पिता— सत्येन्द्र यादव ग्राम— मस्तानगज पो०— नवादा थाना— नेमदारगज जिला— नवादा यूएचआईडी न०—3000577817	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	लवकुश कुमार पिता— बबन यादव ग्राम— कुशा वार्ड 04 पो०— तारा थाना— ओबरा जिला— औरंगाबाद यूएचआईडी न०— 3000463903	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	मुकेश कुमार पिता— दिलीप साव ग्राम— देवा राम के चक मरची पो०— मरची थाना— बाईपास जिला— पटना यूएचआईडी न०— 3000579339	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	सन्नी कुमार पिता— हरेराम राय ग्राम— नीलकण्ठ ओला गोरैया सीन वार्ड 07 पो०— ब्यापुर थाना— मनेर जिला— पटना यूएचआईडी न०— 3000388492	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	राजू कुमार गुप्ता पिता— विनय कुमार गुप्ता ग्राम— मईए आस्थान जगरनाथ पताही वार्ड 03 पो०— पताही थाना— सदर जिला— मुजफ्फरपुर यूएचआईडी न०— 3000513613	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
19	दीपक केशरी पिता— रामदेव प्रसाद केशरी ग्राम— विधापुरी पो०+थाना— मधेपुरा जिला— मधेपुरा यूएचआईडी न०— 3000562887	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

20	अखिलेश पासवान पिता- स्व० अवध पासवान ग्राम+पो०- ओरलाहा थाना- बी कोठी जिला- पूर्णियाँ यूएचआईडी न०- 3000544668	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	केशव राज पिता- प्रवीण कुमार सिंह ग्राम- जगरनाथपुर पो०- हरपुर फटिकबारा थाना- महनार जिला- वैशाली यूएचआईडी न०- 3000194903	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	प्रमिला देवी पति- प्रदीप प्रसाद ग्राम+पो०- बरवा थाना- लखौरा जिला- पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी न०- 3000273816	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	बेबी देवी पति- तुफानी शर्मा ग्राम- झझरा वार्ड 13 पो०- झझरा थाना- पसराहा जिला- खगडिया यूएचआईडी न०- 3000388732	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	चन्द्रिका राम पिता- सरयुग राम ग्राम- बलुआ रामपुरवा वार्ड ए पो०- बलुआ रामपुरवा थाना- बैरिया जिला- पश्चिम चम्पारण यूएचआईडी न०- 3000578729	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	बुद्धदेव सिंह पिता- स्व० सुखु सिंह ग्राम- डुमरी पो०- निश्चलगज थाना- परवलपुर जिला- नालदा यूएचआईडी न०- 3000579326	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
26	चन्द्रावती देवी पति- रामनारायण राय ग्राम+पो०- पिपरा देवस थाना- बरौनी जिला- बेगूसराय यूएचआईडी न०- 3000579351	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	हशेन अली पिता- मोहसन अली ग्राम- जामनीगुडी वार्ड 08 पो०- पिपरिथान थाना- कुर्लीकोट जिला- किशनगज यूएचआईडी न०- 3000572012	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

28	विन्देश्वरी मडल पिता- स्व० जगत मडल ग्राम- दुर्गापुर मिलिक टोला वार्ड 10 पो०- दुर्गापुर थाना- भवानीपुर जिला- पूर्णियाँ यूएचआईडी न०- 3000544888	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	रजनीश रजन पिता- सुरेन्द्र प्रसाद ग्राम+पो०- कवदपुर थाना- सूर्यगढा जिला- लखीसराय रजि न०- 3000577572	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
30	दिलीप कुमार पिता- गिरजा राय ग्राम- दरिहारा चमर्भुज पो०+थाना- दरियापुर जिला- सारण यूएचआईडी न०- 3000427344	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	मो० मुख्तार आलम पिता- रोजदीन मिया ग्राम- सोनी पो०+थाना- करगहर जिला- रोहतास यूएचआईडी न०- 3000570467	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	प्रिया कुमारी पिता- सजय कुमार शाही ग्राम+पो०- पचलख थाना- परसा जिला- सारण रजि न०- 3000558528	Arthroscopy- therapeutic with implant	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			31,95,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 31,95,000/- (इकतीस लाख पन्चानवे हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 176911..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 16498260000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी०एल०, खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० बैंक लि०, शाखा का नाम-AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं०- HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता का संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 154/114)

पटना, दिनांक 04/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176711 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 30.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कौशिल्या देवी पति- देवली महतो ग्राम- आनन्दपुर पो0+थाना- सोनपुर जिला- सारण	Bone Grafting	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) रु0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176911 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-एस0बी0आई0 ग्राउंड फ्लौर ओजन प्लाजा नीयर आर0पीएस0 मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

8

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1542(14)

पटना, दिनांक 04/6/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 17694 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
५



स० स० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सर्राफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक. . . .

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— 30.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अशोक कुमार पिता— सोने पासवान ग्राम— महमदपुर पो०+थाना— सोनकी जिला— दरभंगा	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	सफीना खातून पिता— मो० दउद ग्राम+पो०+थाना— अलीनगर जिला— दरभंगा	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	कुष्मा देवी पति— सुरेद्र प्रसाद ग्राम— टेगराहारी धपहर पो०— नेकनेमा थाना— सिवाईपट्टी जिला— मुजफ्फरपुर	नी रिप्लेशमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	पवन राम पिता— जगदीश राम ग्राम+पो०— कठावासी थाना— सुपौल जिला— सुपौल	ट्युमर	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	श्याम राम पिता— गुलेटे राम ग्राम— नरकटिया पो०+थाना— राजनगर जिला— मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 4,40,000 /—	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,40,000 /—(चार लाख चालीस हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस०

१

बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196911 ..द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर व माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-38022630797 खाता धारक का नाम-सर्गफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम-डी0एम0सी0 कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- 6 पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1543(14)

पटना, दिनांक 04/6/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 196911 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



सं0सं0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रुबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक . . .

विषय.- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	फरहत बानो पति- अब्दुल समद ग्राम-82 बडी मस्जिद की गली अपोजिट आलमगंज थाना पो0- गुलजारबाग थाना- आलमगज जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	दिनेश साह पिता- राम एकबाल साह ग्राम+पो0- पर्राही थाना- फतेहपुर जिला- शिवहर	RTA/Poly Trauma	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
			1,55,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹, 1,55,000/- (एक लाख पचपन हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196911 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस०एम०ई० ब्राच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत करे।

४

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1544(14)

पटना, दिनांक 04/6/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 196911 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक,
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,
रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बलराम प्रसाद सिंह पिता- स्व० प्यारे प्रसाद ग्राम+पो०- उत्तरनावा थाना- रहुई जिला- नालंदा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	रीमा सिन्हा पति- सुनील कुमार लाल ग्राम- अरुणोदय कॉलोनी नियर ओमकारनाथ मंदिर ट्रासपोर्ट नगर कुम्हारार पो०- बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी थाना- अगमकुआ जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	बिदेश्वर प्रसाद सिंह पिता- रामाधीन सिंह ग्राम+पो०- फतेहपुर वाला थाना- मुसरीधरारी जिला- समस्तीपुर	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	मो० जौवाद आलम पिता- मो० शमशुल हक ग्राम- रामपुरकेशो पो०- फुलकाहॉ थाना- श्यामपुर भटहॉ जिला- शिवहर	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

5	पियूष कुमार पिता- सुनील कुमार ग्राम- राजापाकर वार्ड 03 पो0+थाना- राजापाकर जिला- वैशाली	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
6	प्रतिमा कुमारी पिता- ठाकुर सिंह ग्राम- शिवपुर पो0- गारा थाना- कोचस जिला- रोहतास	Heart Surgery (MVR)	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
7	मो0 इशतियाक आलम पिता- मो0 नूर आलम ग्राम+पो0+थाना- साहेबपुर कमाल जिला- बेगूसराय	ड्रामा सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			7,05,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रु0 7,05,000/- (सात लाख पाँच हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176711 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

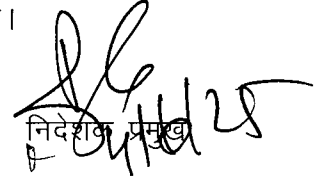
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1545(14)

पटना, दिनांक 04/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 19674 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

1566(14)

प्रेषक,

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय,
ककडबाग, पटना 20

पटना, दिनांक 04/6/2025

विषय— मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कुमार रजित सिंह पिता— रमण बिहारी सिंह ग्राम+पो0+थाना— दीपनगर जिला— नालदा	हीप रिप्लेशमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	स्वाती कुमारी पति— प्रमोद कुमार आर्य ग्राम— सुखसेना पो0— भटोत्तर चकला थाना— बी कोठी जिला— पूर्णियाँ	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	राज कुमार पिता— विश्वनाथ राम ग्राम— बेलथान पो0+थाना— बख्तियारपुर जिला— पटना	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	प्रतिमा देवी पति— अवध बिहारी प्रसाद ग्राम+पो0— किशनपुर थाना— बथनाहा जिला— सीतामढ़ी	हीप रिप्लेशमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
5	नटराज कुमार पिता— सुधीर कुमार ग्राम— इतहारी पो0— बिछवाय थाना— किउल जिला— लखीसराय	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

6	कविता देवी पति-राम सागर सिंह ग्राम-पोखरमा वार्ड 12 पो0-पोखरमा थाना-कजरा जिला लखीसराय	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			5,55,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,55,000/- (पाँच लाख पचपन हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196911 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50200006844472 खाता धारक का नाम- "आस्था लोक अस्पताल एड रिसर्च सेंटर प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0- HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1546(14)

पटना, दिनांक 04/6/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196911 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साईं हौस्पिटल
(हार्ट युनिट) ई०-143
साउथ मलाही पकड़ी चौक
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक . . .

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बैद्यनाथ यादव पिता— स्व० तूफानी यादव ग्राम— भगतपुर वार्ड 03 पो०— भगतपुर थाना— बलिया जिला— बेगूसराय	हृदय रोग पीटीसीए	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
2	बिरेन्द्र कुमार यादव पिता— राम बाबु यादव ग्राम— पादरी की हवेली रुस्तम पीर की गली वार्ड 59 पो०— झाउगंज थाना— खाजेकला जिला— पटना	हृदय रोग पीटीसीए स्टेट	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
			2,50,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (दो लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०—30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 19694 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०—50200037828274 खाता धारक का नाम—“अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एच०डी०एफ०सी० पत्रकार नगर, कंकड़बाग शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

५

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1567 (14)

पटना, दिनांक

04/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. 176711 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा0 आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकडबाग पटना-20

पटना, दिनांक... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजन कुमार सिंह पिता- शैलेन्द्र कुमार सिंह ग्राम- सलाहपुर पो0+थाना- आन्दर जिला- सिवान	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वकृत।
2	अनीता कुमारी पति- नवल प्रसाद ग्राम- देवरिया पो0- मधार थाना- बेन जिला- नालदा	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	बिमला देवी पति- बलबीर यादव ग्राम- बहराहा पो0- कुवारी गोला थाना- धमदाहा जिला- पूर्णियाँ	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वकृत।
			2,20,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176911 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 440720110000498 खाता धारक का नाम- Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1548(14)

पटना, दिनांक

04/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196911... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01 /2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
बुद्धा कैसर सेक्टर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।—

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कचन कुमारी पति- रविकांत ग्राम- माधोपुर वार्ड 05 पो०+थाना- मनेर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	विचो देवी पति- कैमलेश्वरी मडल ग्राम- रतनपुर वार्ड 096 पो०- रतनपुर थाना- बरियारपुर जिला- मुंगेर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	दिना नाथ पिता- शंकरी राय ग्राम- गोढिया वार्ड 11 पो०- मटिया भोपत थाना- लखौरा जिला- पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	मो० अलाउद्दीन पिता- स्व० समसुद्दीन असारी ग्राम- मिल्की बिरैचा पो०- मोगल बिरैचा थाना- बरौली जिला- गोपालगंज	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	रिंकू देवी पति- राजदेव यादव ग्राम- चेतनालय राजगी वार्ड 31 पो0+थाना- राजगीर जिला- नालदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	शमीमा खातून पति- इसराएल ग्राम- हरपुर वार्ड 02 पो0- सांखे खास थाना- उच्चकागाव जिला- गोपालगज	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	सुदामा देवी पति- सुधो यादव ग्राम- परमानदपुर वार्ड 11 पो0- परमानदपुर थाना- मुरलीगज जिला- मधेपुरा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	रेखा देवी पति- उदय पासवान ग्राम- बनमनखी वार्ड 05 पो0+थाना- बनमनखी जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	शोभा देवी पति- मनोज राय ग्राम- बघारी वार्ड 05 पो0- बघारी थाना- रून्नीसैदपुर जिला- सीतामढी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	सीता देवी पति- योगिन्दर राम ग्राम- जगदीशपुर अरगा वार्ड 03 पो0- अरगा थाना- बिरौल जिला- दरभंगा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	शिवकुमार राय पिता- कालीचरण राय ग्राम- नया पानापुर नवदियरी वार्ड 11 पो0- पानापुर थाना- दानापुर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	रामपुकार महतो पिता- चतुरी महतो ग्राम- कोरीगावा वार्ड 05 पो0- कोरिगावा थाना- बरुराज जिला- मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

13	मुन्नी खातून पति- कुतदूश कुरैशी ग्राम- मुस्लिम मोहल्ला पालीगंज वार्ड 15 पो0+थाना- पालीगंज जिला- पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
14	परिक्षन राय पिता- रामवृछ राय ग्राम- मिल्कीचक वार्ड 03 पो0- रहीमपुर थाना- अथमलगोला जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	मो0 आलम अली पिता- मो0 नासिर अली ग्राम- बैजनाथपुर सिमरिया वार्ड 11 पो0- बी0 सिमरिया थाना- कोढा जिला- कटिहार	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
16	पिंटू कुमार पिता- स्व0 दामोदर लाल ग्राम- महादेव बिगहा वार्ड 11 पो0- सकरौधा थाना- नूरसराय जिला- नालंदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	मो0 कुदुस पिता- मो0 मुस्लिम ग्राम- मधुरा वार्ड 04 पो0- चौहट्टा थाना- किशनपुर जिला- सुपौल	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
18	श्याम कुमार मेहता पिता- स्व0 नथन प्रसाद मेहता ग्राम- सिरसा चौक वार्ड 03 पो0- कटिहार थाना- मुफ्फसिल जिला- कटिहार	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			13,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 13,00,000/- (तेरह लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196911 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36930644306 खाता धारक का नाम- "बुद्धा कैसर सेटर प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1549(14)

पटना, दिनांक 04/6/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196911 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0- 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० मुनीर उद्दीन पिता- मो० मोईद उद्दीन ग्राम- रामभद्र पो०+थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	मंजू देवी पति- जीतेन्द्र राम ग्राम- हरना टांड पो०- दलीपपुर थाना- धनगाई जिला- भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	पानपती देवी पति- नरसिंह प्रसाद ग्राम- ससना किशुनपुर वार्ड 11 पो०- सिसई थाना- जनता बाजार जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	बीबी जुबेदा खातून पति- मो० नसीरुद्दीन ग्राम- छिट्ही पलार वार्ड 06 पो०- छिट्ही हनुमान नगर थाना- भपटियाही जिला- सुपौल	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	उषा देवी पति- बिदेश्वरी प्रसाद राणा ग्राम- नकसोसा पो- कठैल थाना- अमरपुर जिला- बाका	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			3,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,50,000 /- (तीन लाख पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176911 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस०एस० हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1550(14)

पटना, दिनांक 04/6/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176911 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

बीग अपोलो स्पेक्टा अस्पताल

शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस

अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक

विषय.— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 30.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्‍थान में चिकित्‍सारत निम्‍नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्‍सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विज्ञानी पाठक पति— चंद्रशेखर पाठक ग्राम— पुलिस कॉलोनी वार्ड 10 पो0— अनीसाबाद थाना— गर्दनीबाग जिला— पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	समसा खातून पति— जहागीर ग्राम+पो0— बनौल थाना— नानपुर जिला— सीतामढ़ी	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			1,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,40,000/—(एक लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्‍थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्‍सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196911... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्‍थान/अस्पताल के खाता स0-1714354694 खाता धारक का नाम—"BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार—चालू बैंक का नाम— कोटक महिन्द्रा बैंक,(गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स0—KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

४

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान और चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1551(14)

पटना, दिनांक 04/6/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176911 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ड्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हरार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक . . .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मेघन राय पिता- मुनेश्वर राय ग्राम+पो0- सुल्तानपुर थाना- देसरी जिला- वैशाली	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
2	रविन्द्र राय पिता- रामचन्द्र राय ग्राम+पो0- इनायतपुर थाना- शाहपुर पटोरी जिला- समस्तीपुर	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
3	मीना देवी पिता/ पति- खिरोद कुमार ग्राम- गोस्वामी दुर्गा चरण लेन पो0- गुलजारबाग थाना- आलमगज जिला- पटना	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
4	अरुण शर्मा पिता- भगीरथ शर्मा ग्राम- मठ लक्ष्मणपुर कोठरी टोला पो0- गुलजारबाग थाना- आलमगज जिला- पटना	ड्रामा सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	छोहडिया देवी पति- छोटे पासवान ग्राम- मोहिउद्दीनपुर पो0+थाना- बिहार शरीफ जिला- नालदा	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			5,80,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 5,80,000/- (पाँच लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424

✓

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 176711 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0- 33569032861 खाता धारक का नाम-"ऑक्सीजन ट्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम -गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0001496 मे अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1552(14)

पटना, दिनांक 04/6/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक स0 176711 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0'14 / एम-11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
क्यूरेस अस्पताल,
आर० के० पुरम मोड
नियर सगुना मोड, दानापुर
खगौल रोड, पटना-801503

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 30.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सजय सिंह पिता- रामधरण सिंह ग्राम- नरहना गोपालपुर पो०- कमला गोपालपुर थाना- मनेर जिला- पटना	ट्रामा	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176911 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200020792300 खाता धारक का नाम- M/S PUSHPAM CARE AND CURE PVT LTD. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी०, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड सं० HDFC 0003961 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

५

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1553(14)

पटना, दिनांक 04/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176711...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेंटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक

विषय.- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० हारून पिता- अब्दुल गफूर ग्राम- बहुआरा पो०- बिशुनपुर महानद थाना- कांटी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2025/000318	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सनोज कुमार साहनी पिता- कैलाश सहनी ग्राम+पो०+थाना- वैशाली जिला- वैशाली केस फाईल न०- 19एफ2025/000479	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	अरविन्द कुमार झा पिता- देवेन्द्र झा ग्राम- बरकुर्बा पो०- तुर्की थाना- कुढनी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19 एफ 2025/001528	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	अजय कुमार सिंह पिता- रामजी सिंह ग्राम- केदारनाथ रोड कल्याणी चौक पो०- रमना थाना- सदर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- केई/80124	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	वीरेदर कुमार सिंह पिता- कंदार प्रसाद सिंह ग्राम- रेपुरा रामपुर बाल्ली पो0+थाना- जैतपुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- केई/ 81221	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
6	दीपक कुमार पिता- सखीचंद्र ताती ग्राम- मनसेरपुर पो0- पहाडपुर थाना- बलिया जिला- बेगूसराय केस फाईल नं0- 19 एफ 2025/002025	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	प्रियका कुवर पति- लखेद्र सहनी ग्राम- कल्याणपुर पो0- जामिन मठिया थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- केडी/81388	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	मास्टर पवन कुमार पिता- राजेश शर्मा ग्राम+पो0- बदरजामीन थाना- भगवानपुर हाट जिला- सिवान केस फाईल नं0- 19 एफ 2025/002670	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	मास्टर अर्नव चौधरी पिता- गौतम कुमार चौधरी ग्राम+पो0- धनौर थाना- कटरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 19 एफ 2025/002518	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	अनीता देवी पति- रमेश कुमार चौधरी ग्राम+पो0- कमालपुर बिथरौल थाना- बरुराज जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- सीएस/23892	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			8,50,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,50,000/- (आठ लाख पाचस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 1.9.69//..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur

A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम—“होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, एड रिसर्च सेटर मुजफ्फरपुर”, खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम—एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम—RTGS/IFSC कोड स0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह0/—

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1554 (14)

पटना, दिनांक 04/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 19694 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा0 लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
कंकडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक ...

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है –

क्र0 सं0	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनील कुमार शर्मा पिता- जगदीश शर्मा ग्राम- पोझियां वार्ड 25 पो0+थाना- लालगज जिला- वैशाली	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	अरुण कुमार सिंह पिता- स्व0 त्रिपिट नारायण सिंह ग्राम- लगुराँव वार्ड 03 पो0- डुमरी थाना- महुआ जिला- वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	राजेन्द्र राय पिता-बासुदेव राय ग्राम-शर्मा अमर वार्ड 07 पो0-हांसी केवल थाना-भगवानपुर जिला-वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			3,20,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,20,000/- (तीन लाख बीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता स0- 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 176711 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 30002849889 खाता धारक का नाम-“HEART HOSPITAL LTD. कंकडबाग पटना 20” खाते का प्रकार- चालू, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स0 SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।

- 3 चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करें।
- 4 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 5 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1555 (14)

पटना, दिनांक 04/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं० 19674 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/6/25
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
दृष्टि कुज नेत्रालय, प्रा०लि०,
सगुना मोड, बेली रोड, पटना 801503

पटना, दिनांक.. ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	सरस्वती देवी पति- बलिराम प्रसाद वर्मा ग्राम+पो०+थाना- ब्रह्मपुर जिला- बक्सर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	नसीमा बानो पिता- स्व० हाजी मो० नूर ग्राम- झाइवर्स लेन दानापुर कैट पो०- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	देवती देवी पति- मिथलेश पासवान ग्राम- नरही पो०- एम दिहुली थाना- दुल्हन बाजार जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	मो० रेयाज पिता- स्व० हाजी मो० नवाब ग्राम- झाइवर्स लेन दानापुर कैट पो०- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	Cataract Surgery	5,000	पाँच हजार स्वीकृत।
5	अनिल पासवान पिता- मोती पासवान ग्राम- सत्तर पो०- सराय थाना- मनेर जिला- पटना	Re Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	संतोष बिन्द पिता- चन्द्रदीप बिन्द ग्राम- सिपारा पो0- कावा थाना- हिलसा जिला- नालदा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			55,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 55,000/- (पचपन हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196911.... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 333905000940 खाता धारक का नाम-Drishtikunj Netralaya Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम ICICI बैंक, शाखा का नाम Saguna More, Patna. RTGS/IFSC कोड सं0 ICIC0003339 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1556 (14)

पटना, दिनांक 04/6/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0-196911 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
श्री साई लायन्स नेत्रालय
बी०/144, पी०सी० कालोनी
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक . . .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	लक्ष्मण कुमार पिता- प्रहलाद नोनिया ग्राम- कोरियावा पो०- पडाबिगहा थाना- मेन जिला- गया	CATARACSurgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			₹ 10,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000/- (दस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स० 176911 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-442320110000316 खाता धारक का नाम SRI SAI LIONS NETRALAYA खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया शाखा का नाम- कंकडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004423 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार

निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1558(14)

पटना, दिनांक 04/6/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलक सं० 1769/1 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बांका आई अस्पताल एंड डेंटल केयर सेंटर
अपोजिट लोयला स्कूल कुर्जी
पटना 801105

पटना, दिनांक.

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नरेश रविदास पिता- राम दहीन रविदास ग्राम- तिनेरी पो0- नदौल थाना- मसौड़ी जिला- पटना	LE Catract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	भगवती देवी पति- बीदा माझा ग्राम- रेवन पो0+थाना- मसौड़ी जिला- पटना	LE Catract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			20,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,000/- (बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 / १. ६१//... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50200021671321 खाता धारक का नाम- BANKA EYE HOSPITAL AND DENTAL CARE CENTRE, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC BANK, शाखा का नाम- Patliputra Branch, Kurji (Patna), RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC0002643 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक

ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है।
उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करे।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1559 (14)

पटना, दिनांक 04/6/2021

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176911 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
मो० अशरफ
पिता- सलाउद्दीन मसूरी
ग्राम+पो०- बराह
थाना- रानी तालाब
जिला- पटना
पिनकोड- 801112

पटना, दिनांक.... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० अशरफ पिता- सलाउद्दीन मसूरी ग्राम+पो०- बराह थाना- रानी तालाब जिला- पटना पिनकोड- 801112	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय संकल्प संख्या- 213(14), दिनांक- 30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196911 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 43666476835, खाता धारक का नाम- MOHAMMAD ASHARPH, खाते का प्रकार- SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- PGIMER CHANDIGARH, कोड सं०- SBIN0001524 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन
ह०/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1577(14)

पटना, दिनांक 04/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196911 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

SBIपासबुक
PASS BOOKपासबुक
PASS BOOK

सुरक्षित बैंकिंग के लिए कुछ सुझाव

- अपने पासवर्ड में छोटे और बड़े अक्षरों, अकों, एवं विशेष चिह्न (Special Characters) का उपयोग कर उसे मजबूत और जटिल रखें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, ओटीपी, कार्ड क्रमांक, मोबाइल, पिन, आदि किसी के साथ साझा न करें।
- अनजान प्रेषकों द्वारा आने वाले एसएमएस / ईमेल अथवा सोशल नेटवर्किंग साइट्स में प्राप्त होने वाली लिंक्स पर क्लिक न करें।
- अनजान व्यक्तिओं की मलाहट पर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड न करें।
- एसबीआई के द्वारा भेजे जाने वाले एसएमएस हमेशा SBI या SB संक्षिप्त कोड के साथ ही आएंगे। उदाहरण: SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI.

सहायता हेतु हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें:

1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

Tips for Secure Banking

- Keep your password strong and complex with a combination of small and capital letters, digits and special characters.
- Do not share your personal details like Username, Password, OTP, Card Number, CVV, PIN etc. with anyone.
- Do not click on links received in SMS/E-mails from unknown senders or on social networking sites.
- Do not install any application on the advice of strangers.
- SMS sent by SBI will always bear Short Codes "SBI, SB" only, e.g., SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI.

Call our helpline number for assistance:

1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

To report any suspicious activity, kindly email on report.phishing@sbi.co.in or call on the cybercrime helpline number 1930.For more information visit: <https://www.cybercrime.gov.in>, <https://bank.sbi/web/personal-banking/cyber-security>

5055/00



भारतीय स्टेट बैंक

STATE BANK OF INDIA

SECTOR 12.

Ema.1: SBI.015243001.CO.IN

Phone No.: 4979317

IFSC: SBIN0001524

Bus. Hrs: 10:00:00 10:00:00

MICR: 160002007

Name: Mr. Mohammad Asharph

S/O/H/O : SALAUDIN MANSURI

CIF Number : 91970023853

Account No.: 43686476835

A/c Type : SAVINGS BANK ACCOUNT

Address : C/O: Salaudin Mansuri

Baran

Phone No. :

Email : aarip703342@gmail.com

D.O.B. (If Minor):

PIC Number :

MOP: SINGLE

A/c Opening Dt: 31/12/2024

Nom Reg No: 000000049617350

Customer's PAN:

Date of Issue: 31/12/2024

FIRST



स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
रविन्द्र मडल
पिता- योगेन्द्र मडल
ग्राम+पो०- थूमहा
थाना- पिपरा
जिला- सुपौल
पिनकोड- 852131

पटना, दिनांक.. ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रविन्द्र मडल पिता- योगेन्द्र मडल ग्राम+पो०- थूमहा थाना- पिपरा जिला- सुपौल पिनकोड- 852131	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय संकल्प संख्या- 213(14), दिनांक- 30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 1969// द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 44038699938, खाता धारक का नाम- RAVINDRA MANDAL, खाते का प्रकार- REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- PGIMER CHANDIGARH, कोड सं०- SBIN0001524 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन
ह०/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1578(14)

पटना, दिनांक 04/6/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196711... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सुरक्षित बैंकिंग के लिए कुछ सुझाव

- ◆ अपने पासवर्ड में छोटे और बड़े अक्षरों, अंकों, एवं विशेष चिह्न (Special Characters) का उपयोग कर उसे मजबूत और जटिल रखें।
- ◆ अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, ओटीपी, कार्ड क्रमांक, सर्वर, पिन, आदि किसी के साथ साझा न करें।
- ◆ अनजान प्रेषकों द्वारा आने वाले एसएमएस / ईमेल अथवा सोशल नेटवर्किंग साइट्स से प्राप्त होने वाले लिंक्स पर क्लिक न करें।
- ◆ अनजान व्यक्तियों की मलाह पर कोई भी गुरुतीक्ष्ण डेटाशॉल न करें।
- ◆ किसी आई के द्वारा भेजे जाने वाले एसएमएस हमेशा SBI या SB लिंकन कोड के साथ ही आयेगा। उदाहरण: SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI

महत्वपूर्ण हेल्प नंबर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें:
1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

Tips for Secure Banking

- ◆ Keep your password strong and complex with a combination of small and capital letters, digits and special characters.
- ◆ Do not share your personal details like Username, Password, OTP, Card Number, CVV, PIN etc. with anyone.
- ◆ Do not click on links received in SMS/Emails from unknown senders or on social networking sites.
- ◆ Do not install any application on the advice of strangers.
- ◆ SMS sent by SBI will always bear Short Codes "SBI, SB" only, e.g., SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI.

Call our helpline number for assistance:
1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

To report any suspicious activity, kindly email on report.phishing@sbi.co.in or call on the cybercrime helpline number 1930.

For more information visit. <https://www.cybercrime.gov.in>, <https://bank.sbi/web/personal-banking/cyber-security>



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

पुनर्गठन प्रमाणपत्र
REORGANIZATION CERTIFICATE
दिनांक: 17/04/2020

पुनर्गठन प्रमाणपत्र
REORGANIZATION CERTIFICATE
दिनांक: 17/04/2020

महत्वपूर्ण हेल्प नंबर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें:
1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

1/c - 44038699938

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
सरिता कुमारी
पति- नन्द किशोर चौधरी
ग्राम- खोता तिलकपुर
पो०- जगमोहरा
थाना- बिथना
जिला- समस्तीपुर
पिनकोड- 848207

पटना, दिनांक..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सरिता कुमारी पति- नन्द किशोर चौधरी ग्राम- खोता तिलकपुर पो०- जगमोहरा थाना- बिथना जिला- समस्तीपुर पिनकोड- 848207	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय संकल्प संख्या- 213(14), दिनांक- 30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 1969// द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 38445699602, खाता धारक का नाम- SARITA KUMARI, खाते का प्रकार- SB TINY SPL, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- PGIMER CHANDIGARH, कोड सं०- SBIN0001524 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन
ह०/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1579(14)

पटना, दिनांक 04/6/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0. 196911 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्रमुख

SBI

सुरक्षित बैंकिंग के लिए कुछ सुझाव

Tips for Secure Banking

● अपने पासवर्ड को मजबूत और जटिल रखें।

● अपने पासवर्ड को किसी को भी न बताएं।

● अपने पासवर्ड को समय-समय पर बदलें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न सहे।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न लिखें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न शेयर करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न टैग करें।

● अपने पासवर्ड को किसी भी डिवाइस पर न कमेंट करें।

Keep your password strong and complex with a combination of small and capital letters, digits and special characters.

Don't share your personal details like Username, Password, OTP, Card Number, CVV, PIN etc. with anyone.

Don't click on links received in SMS/Emails from unknown sources or social networking sites.

Don't use public computer or mobile device to access your banking account.

Don't use public Wi-Fi network to access your banking account.

Don't use public charging station to charge your mobile device.

Don't use public restroom to use your mobile device.

Don't use public parking lot to use your mobile device.

Don't use public library to use your mobile device.

Don't use public office to use your mobile device.

Don't use public school to use your mobile device.

Don't use public hospital to use your mobile device.

Don't use public court to use your mobile device.

Don't use public police station to use your mobile device.

Don't use public fire station to use your mobile device.

Don't use public water station to use your mobile device.

Don't use public gas station to use your mobile device.

Don't use public food station to use your mobile device.

Don't use public clothing station to use your mobile device.

Don't use public shoe station to use your mobile device.

Don't use public bag station to use your mobile device.

Don't use public hat station to use your mobile device.

Don't use public glove station to use your mobile device.

Don't use public scarf station to use your mobile device.

Don't use public sock station to use your mobile device.

Don't use public underwear station to use your mobile device.

Don't use public pajama station to use your mobile device.

Don't use public nightgown station to use your mobile device.

Don't use public robe station to use your mobile device.

Don't use public slipper station to use your mobile device.

Don't use public towel station to use your mobile device.

Don't use public washcloth station to use your mobile device.

Don't use public handkerchief station to use your mobile device.

Don't use public napkin station to use your mobile device.

Don't use public tissue station to use your mobile device.

Branch: POIMER, PIN CODE: 151001
SLIP: 1234

Email: SBI.01524@SBI.CO.IN
Phone No.: 4979317
IFSC: SBIN0001524

Bus. Hrs: 10:00:00-16:00:
MICR: 160002007

Name: Mrs. SARITA KUMARI
G/D/H/o : NAND KISHOR CHAUDHARI
CIF Number : 90315085309
Account No : 38445699602
Ac Type : SB TINY SPL OD GEN PUD IND
Address : W/H/O NAND KISHOR CHAUDHARI
WARD NO-03 AT-KHOTA TILAKPUR PO-JAGMOHRA
DIST-SAMSTIPUR

NOF: SINGLE
A/c Opening Dt: 08/05/201
New Reg No:
Customer's PAN: PBVPK7687
Date of Issue: 04/09/2024
CONTINUATION

Phone No.:
Email:
A.O.B.(If Minor):
PAN Number

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

मनोज कुमार
पिता- सुबोध कुमार मंडल
ग्राम- हसवर
पो०- नवाबगंज
थाना- मनहारी
जिला- कटिहार
पिनकोड- 854113

पटना, दिनांक

.. ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनोज कुमार पिता- सुबोध कुमार मंडल ग्राम- हसवर पो०- नवाबगंज थाना- मनहारी जिला- कटिहार पिनकोड- 854113	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक- 30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 /-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 /- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 1969// द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 008210617184, खाता धारक का नाम- MANOJ KUMAR, खाते का प्रकार- बचत खाता, बैंक का नाम- INDIA POST PAYMENTS BANK, शाखा का नाम- नवाबगंज, कोड स०- IPOS0000001 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० / -

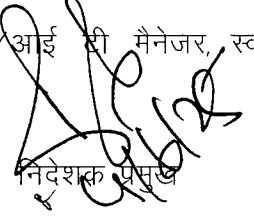
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1580(14)

पटना, दिनांक 04/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196911 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख


India Post Payments Bank
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

IFSC - IPOS0000001
Email - contact@ippbonline.in
Website - www.ippbonline.com


8000000001840925

Name M. S. ...
A/c Number 008210617184
CIF Number 6171840925

SMS BANKING (SEND SMS TO 7738862873)
Registration **Balance Enquiry** **Mini Statement**
1800 889 889 (toll free) for reporting unauthorised transactions (plus king virtual debit card)
155299 033 2207000 (for urgent assistance) for Customer Care


India Post Payments Bank
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक



Download &
Pay online
(Electricity, Mobile/ DTH, LPG & more)

Pay for **using**
IPPB Mobile App (SSA, PF, RD, LARD)

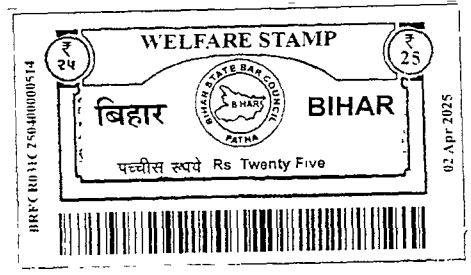
How to use QR Card
Show card **Authenticate** **Complete**
Aapka bank aapke dwaar

A/C - 008210617184

IFSC CODE - IPOS0000001

कार्यपालक दण्डाधिकारी मनिहारी

जिला - कटिहार।



सदर्थ - शपथ पत्र संख्या

/2025

मैं मनोज कुमार पिता- सुबोध कुमार मडल साकिन- हंसवर, पचायत केवाला वार्ड न0 06, पो0 -नवाबगंज थाना-मनिहारी, जिला कटिहार का स्थायी निवासी शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ। आधार संख्या 3163 5938 2696।

- (1) यह कि मैं उक्त शपथ पत्र का एक मात्र शपथकर्ता हूँ।
- (2) यह कि मैं किडनी रोग से ग्रसित व्यक्ति हूँ। मेरा किडनी (गुर्दा) का प्रत्यारोपन स्नानकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था चण्डीगढ़ में दिनांक 04/07/2024 के दिन हुआ है। मेरा दाखिला की तिथि 03/07/2024 है।
- (3) यह कि मेरा गुर्दा का प्रत्यारोपन होने के बाद मुझे उपरोक्त संस्थान से 09/07/2024 के दिन छुट्टी दे दिया गया मेरा दवाई खर्च प्रति माह 1,000.00(दस हजार) रुपये हैं। जिसका एक साल का कुल दवाई खर्च 1,20,000.00(एक लाख बीस हजार) रुपये होता है।
- (4) यह कि मैं गरीबी रेखा के अन्तर्गत आता हूँ। गरीबी रेखा में रहने वाले को सरकारी प्रावधान के तहत मुख्यमंत्री मेडिसीन संस्थान की ओर से अनुदान राशि दी जानी है। मेडिसीन के लिए 55000.00(पचपन हजार) रुपये मुझे प्राप्त हुए हैं।
- (5) यह कि मेरा बचत खाता संख्या 008210617184 है। जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक शाख नवाबगंज थाना मनिहारी जिला कटिहार (बिहार) का है। तथा IFSC IPOS00000001 है।
- (6) यह कि मैंने मुख्यमंत्री मेडिसीन संस्थान के अलावे किसी भी अन्य संस्थान से अबतक अनुदान की राशि प्राप्त नहीं किया हूँ।
- (7) यह कि मैं दवाई के लिए मुख्यमंत्री मेडिसीन फंड (संस्थान) से अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु उक्त शपथ पत्र बन रहा हूँ।

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं उक्त शपथकर्ता शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ की उपरोक्त सारी बातें मेरी जानकारी एवं मेरे विश्वास में सही एवं सत्य हैं। किसी भी तथ्य को मेरे द्वारा छुपाया नहीं गया है। किसी प्रकार का गलत जानकारी पाये जाने पर उसकी सम्पूर्ण जवाब देही मेरी होगी। आज दिनांक 23/07/2024 को अनुमण्डल न्यायालय परिसर मनिहारी में उपस्थित होकर उक्त शपथ पत्र पर अपना हस्ताक्षर बना दिया।

पहचानकर्ता

अधिवक्ता,

शपथकर्ता

स० स० 14/एम 11-- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
दीपक कुमार
पिता— अजीत यादव
ग्राम— नदलालपुर
पो०— बेनीगीर थाना— मुफसिल
जिला— मुंगेर
पिनकोड— 811202

पटना, दिनांक... ..

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दीपक कुमार पिता— अजीत यादव ग्राम— नदलालपुर पो०— बेनीगीर थाना— मुफसिल जिला— मुंगेर पिनकोड— 811202	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या— 213(14), दिनांक— 30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 /—	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 /— (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 1969// द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०— 42788338542, खाता धारक का नाम— DEEPAK KUMAR, खाते का प्रकार— REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम— STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम— PGIMER CHANDIGARH, कोड स०— SBIN0001524 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन
ह० /—
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1581/141

पटना, दिनांक 04/6/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196911. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



yono
collective S
banking Zone

पासवर्ड
PASS BOOK

सुरक्षित बैंकिंग के लिए कुछ सुझाव

- ♦ अपने पासवर्ड में छोटे और बड़े अक्षरों, अंकों, एवं विशेष चिह्न (Special Characters) का उपयोग कर उसे मजबूत और जटिल रखें।
- ♦ अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, ओटीपी, कार्ड क्रमांक, सर्विसो, पिन, आदि किसी के साथ साझा ना करें।
- ♦ अनजान प्रेषकों द्वारा आने वाले एसएमएस / ईमेल अथवा सोशल नेटवर्किंग साइट्स से प्राप्त होने वाली लिंक्स पर क्लिक ना करें।
- ♦ अनजान व्यक्तियों की सलाह पर कोई भी पब्लिकेशन इंस्टॉल ना करें।
- ♦ एसबीआई के द्वारा भेजे जाने वाले एसएमएस हमेंना SBI या SB संक्षिप्त कोड के साथ ही आयेंगे। उदाहरण: SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI

सहायता हेतु हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें:
1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

Tips for Secure Banking

- ♦ Keep your password strong and complex with a combination of small and capital letters, digits and special characters.
- ♦ Do not share your personal details like Username, Password, OTP, Card Number, CVV, PIN etc. with anyone.
- ♦ Do not click on links received in SMS/Emails from unknown senders or on social networking sites.
- ♦ Do not install any application on the advice of strangers.
- ♦ SMS sent by SBI will always bear Short Codes "SBI, SB" only, e.g., SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI.

Call our helpline number for assistance:
1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

To report any suspicious activity, kindly email on report.phishing@sbi.co.in or call on the cybercrime helpline number 1930.
For more information visit <https://www.cybercrime.gov.in>, <https://bank.sbi/web/personal-banking/cyber-security>



SBI

State Bank of India
18, Market Street, New Delhi-110002

Email: sbi@sbilife.co.in
Phone No: 1800 11 22 11
Toll Free Helpline: 1800 11 22 11

संस्थापक अध्यक्ष, एन.डी.ए.ए.ए.
प्रधान कार्यकारी अधिकारी, एन.डी.ए.ए.ए.
उप-प्रधान कार्यकारी अधिकारी, एन.डी.ए.ए.ए.
एन.डी.ए.ए.ए. बैंक अकाउंट
एन.डी.ए.ए.ए. बैंक अकाउंट

हस्ताक्षर

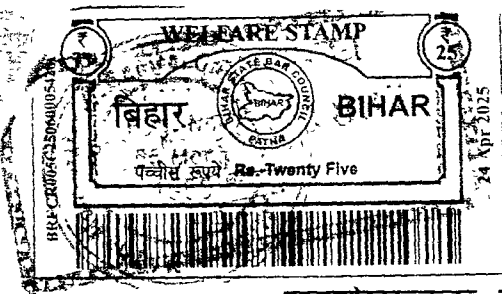
सह-प्रबंधक

सह-प्रबंधक

एन.डी.ए.ए.ए. बैंक अकाउंट



BRANCH MANAGER



BRECRO430250500007443

कायपालक दण्डाधिकारी, मुंगेर

शपथ पत्र सं० / Affidavit No. 2676/2025

मैं, दीपक कुमार, पिता- अजीत यादव, आधार नं०-6564 7646 6676, साकिन- नंदलालपुर, वार्ड न०-02, पोस्ट-बेनीगीर, थाना- मुफसिल, अनुमंडल-सदर, मुंगेर, जिला- मुंगेर, राज्य-बिहार, शपथकर्ता शपथपूर्वक निम्नलिखित तथ्यों का घोषणा करता हूँ :-

1. यह कि मैं उक्त शपथ पत्र का एकमात्र शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि मैं किडनी रोग से ग्रसित व्यक्ति हूँ। मेरा किडनी (गुर्दा) का प्रत्यारोपण स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़ में दिनांक 07.06.2024 को ऑपरेशन हुआ है। मेरा दाखिल की तिथि 06.06.2024 है।
3. यह कि मेरी गुर्दा का प्रत्यारोपण होने के बाद मुझे उपरोक्त संस्थान से 12.06.2024 के दिन छुट्टी दे दिया गया। मेरा दवाई खर्च प्रतिमाह 18,000/- रुपया है। जिसका एक साल की कुल दवाई खर्च 2,16,000/- (दो लाख सोलह हजार) रुपया होता है।
4. यह कि मैं गरीबी रेखा के अन्तर्गत आता हूँ। गरीबी रेखा में वहन करने वाले को सरकारी प्रावधान के तहत मुख्यमंत्री मेडिसीन संस्थान की ओर से अनुदान राशि दी जानी है। लेकिन मुझे अनुदान की राशि प्राप्त हुआ है। मैंने C.M. Relief फण्ड के तहत गुर्दा प्रत्यारोपण करवाया हूँ।
5. यह कि मैंने C.M. Relief फण्ड से अनुदान की राशि 2,75,000/- (दो लाख पचहत्तर हजार) रुपया प्राप्त किया हूँ।
6. यह कि C.M. Relief फण्ड की प्रथम अनुदान 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) रुपये मुझे भुगतान प्राप्त हो चुका है अब C.M. Relief फण्ड की द्वितीय अनुदान की राशि प्राप्त करना चाहता हूँ।
7. यह कि मेरा बचत खाता संख्या- 42788338542 है जो भारतीय स्टेट बैंक, शाखा- चण्डीगढ़ है तथा IFSC CODE-SBIN0001524 हैं।
8. यह कि मैं दवाई के लिए मुख्यमंत्री मेडिसीन फण्ड (संस्थान) से अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु उक्त शपथ पत्र बनवा रहा हूँ।

दीपक कुमार

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण

मैं दीपक कुमार, शपथकर्ता पुनः घोषणा करता हूँ कि शपथ-पत्र में दी गयी सारी बातें सभ्य तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य व सही हैं, इसमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

पहचानकर्ता

(ह० अधिवक्ता)

अधिवक्ता का नाम-

लाइसेन्स सं०-

दिनांक-

दीपक कुमार

(शपथकर्ता)

ह० शपथकर्ता

दिनांक- 22/05/2025

30/96



स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
गौरी शंकर राम
पिता- मुगलाल राम
ग्राम- जगदीशपुर उर्फ मुकुदपुर
पो०+थाना- जन्दाहा
जिला- वैशाली
पिनकोड- 844505

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गौरी शंकर राम पिता- मुगलाल राम ग्राम- जगदीशपुर उर्फ मुकुदपुर पो०+थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली पिनकोड- 844505	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक- 30 01 2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार)) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196911 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 59178100018350, खाता धारक का नाम- GOURI SHANKAR RAM, खाते का प्रकार- बचक खाता, बैंक का नाम- BANK OF BARODA, शाखा का नाम- जन्दाहा, कोड सं०- BARBOUPHRAU में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन
ह० / -
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1582(14)

पटना, दिनांक 04/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0... 176111 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



Reference Card/संदर्भ कार्ड

Account Opened Successfully 170031902744

Reference Number//संदर्भ संख्या: 170031902744
UID Number/यूआईडी नंबर: XXXXXXXX4156
CIF Number/सीआईएफ नंबर: XXXXX8704
Account Number/खाता संख्या: 59178100018350
First Name/पहला नाम: Goun
Middle Name/मध्य नाम: Shankar
Last Name/अंतिम नाम: Ram
Address/पता: Ward no. 8 Jagdishpur
Nominee Name/नामांकित व्यक्ति का नाम: RADHA DEVI
Nominee Relation/नामांकित व्यक्ति का संबंध: WIFE
City/शहर: Jagdishpur Urif Makundpur
Customer city/ग्राहक शहर: PATNA
Date Of Birth/जन्म की तारीख: 01/01/1990
Gender/लिंग: M
Mobile Number/मोबाइल नंबर: XXXXXX2750
Pin Code/पिन कोड: 844505
IFSC CODE BARBOUPHRAU



अर्थ

कार्यपालक दंडाधिकारी/लेख्य प्रमाणक

महुआ (वैशाली)

शपथ-पत्र



मैं, गौरीशकर राम, पिता- मुंगलाल राम, उम्र- 35 वर्ष करीब, ग्राम- जगदीशपुर, पो- जन्दाहा, थाना- जन्दाहा, जिला- वैशाली का निवासी हूँ शपथपूर्वक निम्नलिखित ब्यान करता हूँ कि -

1. यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ। तथा आधार कार्ड सं०- 2032 1851 4156 है।
2. यह कि मैं किडनी रोग से ग्रसित व्यक्ति हूँ। मेरा किडनी गुर्दा का प्रत्यारोपन चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़ में दिनांक- 01/07/2024 के दिन हुआ है। मेरा दाखिल की तिथि- 30/06/2024 है।
3. यह कि मेरा गुर्दा का प्रत्यारोपन होने के बाद मुझे उपरोक्त संस्थान से 12/07/2024 के दिन छुट्टी दे दिया गया। मेरा दवाई खर्च प्रतिमाह 15000/- रु० हैं जिसका एक साल का कुल दवाई खर्च- 180000/- एक लाख अस्सी हजार रु० होता है।
4. यह कि मैं गरीबी रेखा के अन्तर्गत आता हूँ। गरीबी रेखा के अन्तर्गत जीवन यापन करने वाले को सरकारी प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री मेडिसीन संस्थान की ओर से अनुदान राशि दी जाती है। मैंने आयुष्मान कार्ड से गुर्दा प्रत्यारोपन करवाया हूँ।
5. यह कि मैं मुख्यमंत्री मेडिसीन संस्थान (फंड) 2 लाख 75 हजार रु० प्राप्त कर लिया हूँ।
6. यह कि मेरा बचत खाता सं०- 59178100018350 है जो बैंक ऑफ बडौदा शाखा- जन्दाहा थाना- जन्दाहा, जिला- वैशाली तथा IFCS CODE BARBOUPHRAU है।
7. यह कि मैं दवाई के लिए मुख्यमंत्री मेडिसीन फंड (संस्थान) के अनुदान की राशि प्राप्त हेतु उक्त शपथ-पत्र बना रहा हूँ।
8. यह कि उपरोक्त बातें मेरे जानकारी में सही व सत्य हैं।

अतः यह शपथ-पत्र है

शपथकर्ता गौरीशकर राम जो श्री एजाज अहमद अधिवक्ता, महुआ के द्वारा जाने व पहचाने गये व सभी कथन मेरे जानकारी में सही व सत्य हैं।

कार्यपालक दंडाधिकारी/लेख्य प्रमाणक
महुआ (वैशाली)

शपथकर्ता का हस्ताक्षर
मैं, प्रमाणित करता हूँ कि
शपथकर्ता ने मेरे समक्ष
अपना हस्ताक्षर बनाया

अधिवक्ता

16-05-2025
15/05/11

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सेटर फार साईट ए/31
पी0सी0 कोलनी कंकडबाग
बिहाईड ग्रेवीटी माल
नियर ओल्ड तिवारी बेचर
पटना 800020

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रविंद्र कुमार दुवेदी पिता- बनारस दुवेदी ग्राम- राईस पो0- भगवतीपुर करमोर थाना- एन0टी0पी0सी0 जिला- पटना	Retina	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
			20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,000/- (बीस हजार) मात्र का क्रास चेक स0 196908 मूल रूप में सलग्न।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के स. उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनो के अंदर वापस करे।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1557(14)

पटना, दिनांक 04/6/2025

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई०टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख